तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अशोक सिंघल बनाम लो0सू0अधि0 (अति0जिला कलक्टर धौ0) प्रथम अपील (मु0संख्या 93 / 2021) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2021 / 207)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17.01.2022	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः अपील / आरटीआई / 2021–22 / 462 दिनांक 11.11.2021 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट में अवगत कराया है कि कार्यालय के पत्रांक संपर्क / सू.अधि. / 2021 / 432 दिनांक 18.10.2021 से आवेदक को पत्र लिखा गया कि वरिष्ठ लेखाधिकारी कलेक्ट्रेट धौलपुर ने अपने पत्र कमांक 227 दिनांक 18.10.2021 से बिन्दु संख्या–1 के सबंध में अवगत कराया है कि प्रार्थी सात दिवस के अन्दर कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर चिन्हित पत्रों / दस्तावेज की निर्धारित शुल्क जमा की प्रति प्राप्त कर सकता है । आवेदक को बिन्दु संख्या–2 की सूचना कार्यालय के पत्रांक संपर्क / सू.अधि. / 2021 / 446 दिनांक 02.11.2021 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी / रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 2 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। बिन्दू संख्या–1 के सम्बध में कार्यालय के पत्रांक संपर्क / सू.अधि. / 2021 / 432 दिनांक 18.10.2021 से आवेदक को पत्र लिखा गया कि वरिष्ठ लेखाधिकारी कलेक्ट्रेट धौलपुर ने अपने पत्र कमांक 227 दिनांक 18.10.2021 से बिन्दु संख्या–1 के सबंध में प्रार्थी सात दिवस के अन्दर कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर चिन्हित पत्रों / दस्तावेज की निर्धारित शुल्क जमा की प्रति प्राप्त कर सकता है। आवेदक को बिन्दु संख्या–2 की सूचना कार्यालय के पत्रांक संपर्क / सू.अधि. / 2021 / 446 दिनांक 02.11. 2021 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है।	

अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(आर.के.जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर